

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या— 585 / 2014.....

जिला.....जयपुर.....

उनवान— मैसर्स हरि वॉच एण्ड ज्वैलर्स, जयपुर बनाम सहा. आयुक्त वा. कर, विशेष प्रथम, जयपुर

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>29.03.2016</p>	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी—सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि जतिन हरजाई सी.ए. का विद्वावल प्रार्थना पत्र एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक डी.पी.ओ.ज्ञा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत अपील को विद्वा करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विद्वावल खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मनोहर पुरी) सदस्य</p>	